न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 23/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.05.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/128

दलाराम पुत्र श्री गुलाराम, उम–वयस्क, जाति जटिया, निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली राज. **प्रार्थी**

बनाम

1. तीजादेवी पत्नि श्री नरसिंह, उम्र–वयस्क,
2. योगेश पुत्र श्री पुराराम, उम्र–वयस्क,
3. गेरीदेवी पत्नि श्री पुराराम, उम्र–वयस्क,
4. गोविन्द पुत्र श्री पुराराम, उम्र–वयस्क,
5. डुंगर पुत्र श्री पुराराम, उम्र–वयस्क,
6. नरसिंह पुत्र श्री धारूराम, उम्र–वयस्क, समस्त जाति जटिया, निवासीगण रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली राज.
7. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर जिला पाली राज..

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सैन प्रार्थी
2 अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री भवानी सिंह सोलंकी

निर्णय दिनांक :— 10.08.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री भूपैन्द्र सैन द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय भू. अभि. नि. क्षैत्र रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली के खाता सं. 863 खसरा सं. 1900 रक्बा 0.2590 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल खातेदारी भुमि आई हुई हे। उपरोक्त खातेदारी आराजी की वक्त चालु जमाबन्दी, वर्तमान आनलाईन राजस्व नक्शे की प्रति, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी बॅटवाडा की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग समझा जावें। उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से पढा जायेगा। उक्त विवादित भुमि खसरा सं. 1900 प्रार्थी की खातेदारी भुमि है उक्त भुमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भुमि है जिसमे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की शामलाती भुमि थी। जिसमे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य तहसीलदार रायपुर के यहॉ आपसी सहमति से मौके पर कब्जे अनुसार समस्त खातेदारों के बीच बॅटवाडा करने का आदेश दिया जिसमे नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीन करनी थी। उक्त आदेश का नामान्तरण भरा गया परन्तु राजस्व नक्शे मे तरमीन नहीं किया गया। उक्त भुमि पर खातेदारों का मौके पर काबिज अनुसार बॅटवाडा होने पर बिना किसी रोक टोक के काश्त

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

कर रहे है। वर्तमान मे डी आर एल एम पी स्कीम के तहत राजस्व नक्शे को आनलाईन करने पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने आनलाईन करने मे जल्दबाजी करते हुए बिना किसी खातेदार के बयान लेकर बिना किसी प्रकार का मौका देखें अपनी मन मर्जी से गलत स्थान अप्रार्थी सं. 2–5 के कब्जे के स्थान पर तरमीन कर दी है जबकि वर्तमान मे मौके पर कब्जे मे किसी प्रकार का विवाद नही है। परन्तु गलत तरमीन को लेकर भाविष्य मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अगर तरमीन गलत जगह रहती है तो प्रार्थीगण को भारी आर्थिक, मानसिक नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी सुरत मे पुरी नहीं कि जा सकती है। मौके एवं रेकर्ड मे फर्क होने से प्रार्थी का ऋण लेने मे अन्य सरकारी लाभ लेने मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा। एवं भाविष्य मे सरकारी भुमि की तरमीन होने पर कोई भी वयक्ति कब्जा करने की नियत रख सकता है जिससे प्रार्थी एवं उनके मध्य मल्टीप्रोसेडिग बढने की पुरी पुरी सम्भावना है। उक्त ग्राम बर के खसरा सं. 1900, 1900/1, 1900/2, 1900/3 की वक्त सेकरीक्रेशन, डी आर एल एम पी के तहत राजस्व नक्शे आनलाईन करते समय मौके पर अप्रार्थी के कब्जे वाले भुमि एवं आपसी बॅटवाडा के अनुसार तरमीन नहीं करते हुए गलत तरमीन अन्यत्र कर दी जिस कारण प्रार्थी को बहुत परेशानी का सामना करना पड रहा है। भाविष्य मे विवाद उत्पन्न होने की पुर्ण सम्भावना है जिससे वादी को ऋण लेने मे भी भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। एवं गलत तरमीन का विवाद को आगे नही बढाने एवं मौके पर शांति कायम रखने हेतु उक्त राजस्व नक्शे कि तरमीन को सुधारा जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थी द्वारा अपनी भुमि का ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से राजस्व नक्शा निकलवाने पर यह ज्ञात हुआ खसरा सं. 1900 की राजस्व नक्शे मे तरमीन अन्यत्र स्थान पर की गई तब प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी हुई उक्त गलत तरमीन की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से निवेदन किया कि खसरा सं. 1900, 1900/1, 1900/2, 1900/3 की राजस्व नक्शे मे तरमीन को सुधारा जावें हल्का पटवारी ने बताया आनलाईन तरमीन करते समय गलत हो गयी आप इसे राजस्व न्यायलय से तरमीन शुद्वी करवाकर लावे। तभी ही राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्व की जायेगी। तब प्रार्थी को राजस्व नक्शे मे तरमीन गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई जिस कारण उक्त तरमीन संसोधन के प्रार्थना पत्र कि आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद है। तथा प्राथी का प्रार्थना पत्र विधिक बिन्दु पर है इसलिए उस पर म्याद कानुन लागु नही होता है। प्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है प्रार्थी अपने हक हिस्से की जमीन का उपभोग उपयोग बिना किसी रोक–टोक के करते आ रहे है, अगर वर्तमान रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी के हक हिस्से की जमीन के राजस्व नक्शे मे प्रार्थीगण के खातेदारी भुमि खसरा सं. 1900 एवं अप्रार्थी की खसरा नं. 1900/1, 1900/2, 1900/3 की गलत तरमीन रह जाती है तो प्रार्थी को बिना मतलब की परेशानी का सामना करना पड सकता

उपखण्ड कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

है प्रार्थी को भारी नुकसान होने की पुर्ण सम्भावना है जिसकी क्षति पुर्ति किसी तरह सम्भवं नही होगी, तथा प्रार्थी अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह प्रार्थना पत्र मौका कब्जा की जाचें कर मौके पर कब्जे अनुसार एवं आपसी सहमति से तहसीलदार रायपुर के द्वारा बॅटवाडे मे वर्णित नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में संसोधन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायलय में पेश कर रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय के खसरा नं. 1900, 1900/1, 1900/2, 1900/3 की मौके अनुसार, एवं आपसी सहमति से तहसीलदार रायपुर के द्वारा बॅटवाडे आदेश मे वर्णित नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे तरमीन सही नही होने से विवाद कि स्थिति बनी हुई है इसलिए विवादित भुमि एवं खसरा नं. 1900, 1900/1, 1900/2, 1900/3 की मौके अनुसार, एवं आपसी सहमति से तहसीलदार रायपुर के द्वारा बॅटवाडे आदेश मे वर्णित नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे आनलाईन तरमीन मे संसोधन तरमीन किया जाने का आदेश प्रदान करावें जिससे प्रार्थी को भाविष्य मे हाने वाली भारी समस्या से बचाया जा सके। एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से वकालतनामा श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता ने पेश किया जो शा.मि. किया गया हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया हैं कि ग्राम रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय के खसरा नं. 1900, 1900/1, 1900/2, 1900/3 की मौके अनुसार, एवं आपसी सहमति से तहसीलदार रायपुर के द्वारा बॅटवाडे आदेश मे वर्णित नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे आनलाईन तरमीन मे संसोधन किया जाने निवेदन किया हैं। इस पर उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति प्रदान की हैं।

उभयपक्ष बहस सुनी गई, बहस के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन के पश्चात् कि ग्राम रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय के खसरा नं. 1900, 1900/1, 1900/2, 1900/3 की मौके अनुसार, एवं आपसी सहमति से तहसीलदार रायपुर के द्वारा बॅटवाडे आदेश मे वर्णित नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे आनलाईन तरमीन मे संशोधित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रायपुर (पाली) *

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद ग्राम रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय के खसरा नं. 1900, 1900/1, 1900/2, 1900/3 की मौके अनुसार, एवं आपसी सहमति से तहसीलदार रायपुर के द्वारा बॅटवाडे आदेश मे वर्णित नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे आनलाईन तरमीन मे संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रायपुर (पाली) *